

कार्यालय उप जिला धकारी, रानीखेत।  
संख्या /रिवर ट्रेनिंग- वज्रप्ति/2019-20 दिनांक जून, 2020

तहसील रानीखेत के राजस्व ग्राम बोहरागांव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र महरखोला, तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा अन्तर्गत वर्षाकाल में कोसी नदी में अधिक जल प्रवाहित होने से नदी के दोनों किनारों के ओर स्थित आबादी क्षेत्र तथा कृषि भूमि के बाढ़ के कारण भू-कटाव से प्रभावित होने के दृष्टिगत उक्त स्थान पर कोसी नदी के मध्य भाग में चैनेलाइज तथा मलवे के उठान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2016 यथा संशोधित 2020 के द्वारा गठित समिति की आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 3857/तीस-14/ए0जे0ए0/2019-20 दिनांक 08 जून 2020 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जनहित में उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति तथा सुसंगत नियमों के तहत उक्त स्थल को रिवर ट्रेनिंग हेतु स्वीकृत किया गया है तथा सम्बन्धित स्थल से आर0बी0एम0 के चुगान/निस्तारण हेतु नियमानुसार उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2016 यथा संशोधित-2020 के अनुसार समिति को खुली नीलामी (Open Auction) कराते हुए उच्च बोलीकर्ता/सफल आवेदक चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः तहसील रानीखेत अन्तर्गत राजस्व ग्राम बोहरागांव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र महरखोला में कोसी नदी को चैनेलाइज किये जाने हेतु उक्त स्थल पर आर0बी0एम0 के चुगान/निस्तारण के लिए खुली नीलामी (Open Auction) हेतु जनपद अल्मोड़ा के स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं से आवेदन पत्र दिनांक 09-6-2020 से दिनांक 15-6-2020 के पूर्वान्ह 10:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। तदोपरान्त सफल आवेदक के चयन हेतु दिनांक 15-6-2020 के पूर्वान्ह 11:00 बजे उप जिला धकारी कार्यालय रानीखेत में गठित समिति के सदस्यों के सम्मुख खुली नीलामी (Open Auction) किया जायेगा।

खुली नीलामी हेतु चन्हित क्षेत्र का ववरण व शर्तें निम्नवत् है:-

क्र० सं०	खुली नीलामी हेतु चन्हित स्थल का नाम	तहसील का नाम	नदी का नाम	आंकलत मात्रा	खसरा संख्या तथा क्षेत्रफल	आधार मूल्य
1	ग्राम बोहरागांव, क्षेत्र महरखोला	रानीखेत	कोसी	21780 घनमीटर या 47916 टन	खसरा सं० 714 रकबा 9.335 हे० मध्ये 1.089 हे०	रु० 1916640.00 (इसके अतिरिक्त नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 2 प्रतिशत, क्षतिपूर्ति शुल्क 15 प्रतिशत, तथा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान 25 प्रतिशत देय होंगे)

- 1- आवेदक जनपद का स्थायी निवासी हो, जिसके प्रमाण हेतु आवेदक द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

- 2- खुली बोली हेतु आधार मूल्य का 25 प्रतिशत धनरा श अरनेस्ट मनी के रूप में ड्राफ्ट बनाकर, जो जिला अ धकारी महोदय अल्मोड़ा के नाम बंधक हो, प्रस्तुत कया जाना होगा।
- 3- आवेदनकर्ता द्वारा जनपद अन्तर्गत खनन का कोई बकाया ना होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कया जाना होगा।
- 4- आवेदनकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में कसी भी काली सूची में ना होने के सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कया जाना होगा।
- 5- आवेदक का जी0एस0टी0 नम्बर होना आवश्यक है, जिसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी।
- 6- आवेदनकर्ता को बोली के दिन स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा, कोई भी प्रतिनिध अथवा अन्य बोली में प्रतिभाग नहीं करेगा। इस स्थिति में आवेदक के उपस्थित ना होने के कारण आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 7- आवेदनकर्ता बोली से पूर्व चन्हित स्थल पर आर0बी0एम0 की मात्रा तथा पहुंच/ निकासी मार्ग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही बोली में प्रतिभाग करें।
- 8- आर0बी0एम0 की निकासी हेतु मार्ग तथा कसी भी स्थानीय ववाद की स्थिति में सफल घो षत बोलीधारक/चयनित सफल आवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
- 9- सफल घो षत बोलीकर्ता द्वारा उच्च बोली गयी धनरा श का 25 प्रतिशत धनरा श तहसील रानीखेत में तत्काल जमा की जानी होगी।
- 10- सफल घो षत बोलीकर्ता को बोली गयी उच्च धनरा श का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क 2 प्रतिशत, क्षतिपूर्ति शुल्क 15 प्रतिशत तथा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में अंशदान 25 प्रतिशत अंशदान जमा कये जाने होंगे।
- 11- मलवे का निस्तारण यथा सम्भव मानव शक्ति द्वारा नदी के दोनों कनारों से एक चैथाई भाग को छोड़ते हुए कया जायेगा।
- 12- नदी के जल स्तर से एक मीटर गहराई तक चुगान की अनुमति होगी।
- 13- आर0बी0एम0 चुगान की खुली नीलामी के पश्चात नदी से मलवे के उठान की अनुमति उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति-2016 यथा संशोधत 2020 के अनुसार अ धकतम दो माह अथवा खनिज की अनुज्ञापत मात्रा हटाने की अव ध, इनमें से जो भी पहले हो, तक ही अनुमत होगी।
- 14- खुली बोली/नीलामी की कार्यवाही को कसी भी स्तर पर निरस्त करने का अन्तिम निर्णय स मति के अध्यक्ष के अधीन होगा।

उपजिला धकारी, रानीखेत